

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077] No. 3077] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

का.आ. 3512(अ).—भारत गणराज्य और न्यूजीलैंड सरकार के बीच अभिसमय के तीसरे प्रोटोकाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रोटोकाल कहा गया है) आय कर के संबंध में दोहरे कराधान का परिवर्जन करने और राजकोषीय अपवंचन का निवारण करने के लिए जैसा कि इस अधिसूचना के उपाबंध में वर्णित है, पर नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और उक्त प्रोटोकाल 7 सितंबर, 2017 को लागू हुआ है जो उक्त प्रोटोकाल के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार, उक्त प्रोटोकाल को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने की तारीख है:

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि इससे यथा उपाबद्ध उक्त प्रोटोकाल के सभी उपाबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा ।

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा न्यूजीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय का तीसरा प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा न्यूजीलैंड की सरकार;

6518 GI/2017 (1)

दिनांक 17 अक्तूबर 1986 को ऑकलैंड में किए गए आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

- 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे स्पष्टत: संगत (दस्तावेज सहित) या संविदाकारी राज्यों की या इनके राजनैतिक उपखण्डों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से अधिरोपित प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन जहां तक इसके तहत कराधान अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, सम्बंधी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- 2. संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।
- 3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगाः
 - क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - ख) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
 - ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकृल हो।
- 4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमित देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद - 2

अभिसमय को अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

"अनुच्छेद 26 क

करों के संग्रहण में सहायता

- 1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
- 2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं, के विरुद्ध न हो।
- 3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो, उस समय, उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
- 4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
- 5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी, पैराग्राफ 3 और 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
- 6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का मृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

- 7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:
 - क) पैराग्राफ 3, के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
 - ख) पैराग्राफ 4, के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानुनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

- 8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:
 - क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
 - ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
 - घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भृत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।"

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अंतर्गत इसकी अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 4

यह प्रोटोकॉल जो इस अधिसमय का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह अभिसमय लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह अभिसमय प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में, वर्ष 2016 के अक्तूबर माह की छब्बीस तारीख को, हिन्दी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा की दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की	न्यूज़ीलैंड की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से
प्रीति सरण	एंड्रिया स्मिथ
[सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय]	[उप सचिव, व्यापार एवं विदेशी मामले मंत्रालय]

[अधिसूचना सं. 93/2017/फा. सं. 501/1/83-एफटीडी. II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

S.O. 3512(E).—Whereas, the Third Protocol to the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as the said Protocol) as set out in the Annexure to this notification, was signed at New Delhi on the 26th day of October, 2016;

And whereas, the said Protocol entered into force on the 7^{th} September, 2017 being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for bringing into force the said Protocol, in accordance with Article 3 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

THIRD PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of New Zealand;

Having regard to the Convention between the Government of Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income done at Auckland on 17th day of October, 1986 (hereinafter referred to as "the Convention"), have agreed as follows:

Article 1

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
- 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
- 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- b) to supply information (including documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
- 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
- 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting state to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 2

The Convention is amended by adding after Article 26 the following new Article:

"Article 26A

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

- 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
- 2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
- 3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
- 4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
- 6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.
- 7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
 - a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
 - b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

- 8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 - to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
 - d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State."

Article 3

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of its procedures required by its laws for bringing into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications.

Article 4

The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.

IN WITNESS whereof the undersigned duly authorized by their respective Governments have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi, this 26th day of October, 2016, in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND

Preeti Saran Andrea Smith
[Secretary (East), [Deputy Secretary,

Ministry of External Affairs Ministry of Foreign Affairs and Trade]

[Notification No. 93/2017/F. No. 501/1/83-FTD.II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.